दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सिविल वाद (मूल पक्ष) 2377/2010

निर्णय दिनांक 21.03.2014

मैसर्स हरकरन दास दीप चंद .....वादी

द्वारा : श्री अमित पुंज, अधिवक्ता।

बनाम

वीरेन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड .....प्रतिवादी

द्वारा :

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी

<u>न्या. जी.एस.सिस्तानी</u> ***(मौखिक)***

1. वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXVII के उपबंधों के अंतर्गत 60,36,522 रुपये की वसूली के लिए वर्तमान वाद दायर किया है, साथ ही 18% प्रति वर्ष की दर से वादकालीन और भविष्य के ब्याज की भी माँग की है।

2. प्रतिवादी को वाद में समन परिशिष्ट ख, सि.प्र.सं. के प्रपत्र 4 में आदेश XXXVII, सि.प्र.सं. के अंतर्गत जारी किए गए थे। चूँकि, प्रतिवादी को सामान्य तरीके से तामील नहीं किया जा सका, इसलिए वादी ने प्रतिस्थापित तामील के लिए आदेश V नियम 20 सि.प्र.सं. के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया। तब से प्रतिवादी को प्रकाशन द्वारा तामील किया

गया है। प्रतिस्थापित तामील के बावजूद प्रतिवादी मामले में उपस्थित होने में विफल रहा है।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता ने सि.प्र.सं. के आदेश XXXVII नियम 2 (3) पर भरोसा करते हुए डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

4. वादपत्र के अनुसार, वादी एक भागीदार फ़र्म है और प्रतिवादी एक कंपनी है। प्रतिवादी ने अपने निदेशकों और अन्य अधिकारियों के माध्यम से पाम स्टीयरिन ऑयल की आपूर्ति के लिए वादी से दिल्ली कार्यालय में संपर्क किया था। अंतिम मूल्य और अन्य शर्तों सहित उक्त क्रय के संबंध में विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श वादी के दिल्ली कार्यालय में हुआ और उसके बाद दिल्ली में पक्षकारगण के बीच संविदा को अंतिम रूप दिया गया। संविदा के अनुसार, वादी ने प्रतिवादी को चालान क्रमांक 1444, पुस्तक सं. 29 दिनांक 11.3.2010 के माध्यम से 10,57,920 रुपये की राशि के लिए; चालान क्रमांक 1452, पुस्तक सं. 30, दिनांक 25.3.2010 के माध्यम से 10,49,534 रुपये की राशि के लिए; चालान क्रमांक 1454, पुस्तक सं. 30, दिनांक 30.03.2010 के माध्यम से 11,20,558 रुपये की राशि के लिए; चालान क्रमांक 1456, पुस्तक सं. 30, दिनांक 31.03.2010 के माध्यम से 12,08,952 रुपये की राशि के लिए; चालान क्रमांक 1457, पुस्तक सं. 30, दिनांक 02.04.2010 के माध्यम से 11,01,128 रुपये की राशि के लिए; तथा 55,38,092 रुपये की कुल राशि के लिए पाम स्टीयरिन ऑयल की आपूर्ति की। ग प्रपत्र की प्रति पर भरोसा किया गया है, जो वादी द्वारा प्रतिवादी को आपूर्ति की गई वस्तुओं की मात्रा का साक्ष्य होगा।

5. उपरोक्त आपूर्ति के लिए पक्षकारगण के बीच तय नियमों और शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी ने वादी को पाँच चेकों के माध्यम से भुगतान किया, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चेक सं.	तिथि	कुल धनराशि
i.	965348	12.4.2010	रु. 10,56,400/-
ii.	965358	15.4.2010	रु.10,49,534/-
iii.	965371	25.4.2010	रु. 11,20,558/-
iv.	965372	26.04.2010	रु.11,00,148/-
v.	965373	27.04.2010	रु. 11,01,776/-
vi.	**कुल**		**रु. 54,28,416/-**

6. वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चेकों को वसूली के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले, प्रतिवादी ने वादी से अनुरोध किया कि वह उपरोक्त चेक प्रस्तुत न करे क्योंकि प्रतिवादी कंपनी वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, तथापि, वादी द्वारा सभी चेक 20.5.2012 के बाद प्रतिवादी द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर प्रस्तुत किए गए कि प्रस्तुत किए जाने पर उक्त चेकों को भुना लिया जाएगा। वादी के अधिवक्ता ने प्रतिवाद दिया कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, अपर्याप्त धनराशि के कारण उक्त पाँच चेक अस्वीकृत हो गए।

7. मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, वादपत्र और सभी दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियों का परिशीलन किया है, जिन्हें वादी द्वारा वाद में उठाए गए अभिवाकों के समर्थन में अभिलेख पर रखा गया है। वर्तमान वाद पाँच चेक और चालान के अस्वीकृत होने पर आधारित है।

8. अब यह बात अनिर्णीत विषय नहीं है कि चालान/बिल लिखित संविदा की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। 92 (2001) डीएलटी 88 के रूप में प्रकाशित ***केएलजी सिस्टेल लिमिटेड बनाम फुजित्सु आईसीआईएम लिमिटेड*** के मामले में निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया गया:

> *"1. प्रतिवादी/आवेदक ने सि.प्र.सं. के आदेश XXXVII के अंतर्गत वाद की पोषणीयता को भी चुनौती दी है, जिसमें बयान दिया गया है कि "प्रतिवादी-कंपनी (एसआईसी. वादी पढ़ें) को देय धन में कोई ऋण या परिसमाप्त माँग नहीं है और/या लिखित संविदा पर आधारित है"। इस आदेश के अंतर्गत अब यह अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है कि चालान/बिल 'लिखित संविदाएँ हैं। **मैसर्स पंजाब पेन हाउस बनाम समाट बाइसिकल लिमिटेड,** एआईआर 1992 दिल्ली 1; **कॉरपोरेट वॉयस (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम यूनिरोल लेदर इंडिया लिमिटेड,** 60 (1995) डीएलटी 321; और **बीकन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाम सिल्वेनिया और लक्ष्मण लिमिटेड,** 1998 (3) सर्वोच्च निर्णय (दिल्ली) 141 का संदर्भ दिया गया है। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान वाद एक वाद है जिस पर सि.प्र.सं. के आदेश XXXVII की सारांश प्रक्रिया के अंतर्गत विचारण किया जाना चाहिए"।*

9. आदेश XXXVII नियम 2 (3) निम्नानुसार है:

> "(3) प्रतिवादी उपनियम (1) में निर्दिष्ट वाद का तब तक बचाव नहीं करेगा जब तक कि वह उपस्थित न हो जाए और उसके उपस्थित न होने की स्थिति में वादपत्र में लगाए गए अभिकथन स्वीकार कर लिए गए समझे जाएँगे और वादी किसी भी राशि के लिए डिक्री का हकदार होगा, जो समन में उल्लिखित राशि से अधिक नहीं होगी, साथ में डिक्री की तिथि तक निर्दिष्ट दर पर ब्याज, यदि कोई हो, और जुर्मानों के लिए ऐसी राशि जो उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर उस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है और ऐसी डिक्री को तुरंत निष्पादित किया जाएगा"।

10. प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी भुगतान करने में विफल रहा है तथा यह तथ्य

कि प्रतिस्थापित तामील के बावजूद प्रतिवादी मामले में उपस्थित होने में विफल रहा है, वर्तमान वाद को वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध 60,36,522/- रुपए की राशि के साथ 8% प्रति वर्ष की दर से वादकालीन तथा भविष्य के ब्याज सहित डिक्रित किया जाता है। तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।

अं.आ. 5890/2013 (सि.प्र.सं. धारा 151 के अंतर्गत)

11. वाद में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए आवेदन खारिज किया जाता है।

न्या. जी.एस. सिस्तानी

21 मार्च, 2014
एमएसआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*